न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 55/2019

1 दयानन्द पुत्र प्रभु
2 विजयपाल पुत्र प्रभु
3 राजेश कुमार पुत्र प्रभु
4 सुशीला स्त्री मुकेश
5 बदलु पुत्र मुखराम
6 रामकिशन पुत्र बिशना
7 रतनसिंह पुत्र बिशना
जाति समस्त जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक सुलतान पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (दौराने प्रार्थना पत्र मृत्यु)
1/1 ओमप्रकाश पुत्र सुलतान
1/2 सुबेसिंह पुत्र सुलतान
1/3 रतना पुत्री सुलतान
1/4 लिक्षमा पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
2 धर्मपाल पुत्र नोंरग
3 भूपराम पुत्र नोंरग
4 महावीर पुत्र नोंरग
5 महीपाल पुत्र नोंरग
6 मरवण पुत्री नोरंग
7 शान्ति स्त्री नोंरग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 राजबाला पुत्री नोरंग जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
9 रघुवीर पुत्र ताराचन्द पति कष्णा जाति जाट निवासी मकसुसपुर तहसील व जिला महेन्द्रगढ़।
10 मुकेश पत्नी स्व. कृष्णसिंह
11 हरमेन्द्र पुत्र कृष्णसिंह
12 जितेन्द्र पुत्र कृष्णसिंह
13 धर्मादेवी पत्नी विनोद कुमार
14 मनीष पुत्र विनोद कुमार
15 मौनिका पुत्री विनोदकुमार
16 सरती देवी पत्नी रूपचन्द
17 वेदप्रकाश पुत्र रूपचन्द
18 सत्यवान पुत्रान रूपचन्द
19 सुरेश पुत्री रूपचन्द
20 धर्मपाल पुत्र शिवपाल
21 धुपसिंह पुत्र शिवपाल
22 जलेसिंह पुत्र शिवपाल
23 किरण देवी पत्नी जगराम
24 वेदपाल पुत्र जगराम
25 विरेन्द्र पुत्र जगराम
26 राजेश पुत्र जगराम
27 गुडडी पुत्री जगराम
28 बाला पुत्री जगराम
29 सुमन पुत्री जगराम
30 कमला पुत्री हरिराम
31 गीता देवी पत्नी फत्ताराम
32 प्रभु पुत्र श्योदान
33 फतहेसिंह दत्तक पुत्र कृपाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

34 भतेरी देवी पत्नी रतनसिंह
35 भतेरी देवी पत्नी रामकिशन
36 सुप्यारी पत्नी भूपसिंह
37 सुमित्रा पत्नी धर्मपाल
38 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास जिला झुन्झुनूं।
39 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कुहाड़वास।
40 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुहाड़ावास।
41 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 09.07.2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह आरएएस मुकदमा उनवानी सुलतान बनाम दयानन्द वगै. मु.नं. 09/2019 अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—25.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 09/2019 में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 65, 67 व 68 वाके ग्राम नानवास तहत तहसील बुहाना में स्थित है। जमीन हाल खसरा नम्बर 489/69 जमीन भी ग्राम नानवास में स्थित है। विचारण न्यायालय के समक्ष मृतक सुलतान व नौरंग के वारिसान रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 9 ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें मांग की गई कि खसरा नम्बर 65, 67 व 68 की मध्य की मेढ के सहारे सहारे उनके खेतं खसरा नम्बर 489/69 में जाने के लिये 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने की मांग की। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2019 को स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौजुदा प्रकरण में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागु नहीं होते। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र को पढा नहीं। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की जवाब देही को नजर अन्दाज किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में लिखा है कि खसरा नम्बर 507/70 में सुलतान ने रिहायशी मकान बनाकर आबाद है तथा खसरा नम्बर 489/69 में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 8 ने रिहायशी मकान बनाकर आबाद है तथा लिखा है कि उक्त तथाकथित रास्ता को 10 दिन पहले तारबन्दी करके अवरूद्ध कर दिया। उपरोक्त अनुसार वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की परिधि में आता है। उपरोक्त प्रकार से विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए राजस्थान

भूप्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों की अनदेखी कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (राजकीय) नियम 1955 के नियम 69 की अनदेखी की है। उक्त प्रकरण में दिनांक 14.06.2019 को पटवारी हल्का कुहाड़वास की मौके की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। कानून से धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरण में तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक से नीचे की रेंक का कर्मचारी मौके की रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता। पटवारी हल्का ने की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 को बनाई उसमें लिखा है कि मु.नं. 09/2019 उनवानी सुलताना बनाम दयानन्द आदि में तहसीलदार बुहाना के आदेश दिनांक 03.06.2019 की पालना में। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट दिनांक 11.06.2019 से पूर्व बनाई गई है क्योंकि पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट दिनांक 11.06.2019 को एलआर सेक्शन में पेश हो चुकी थी। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का कुहाड़वास ने बिना क्षेत्राधिकार के रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार मौके की रिपोर्ट नियम 69 के प्रावधानों के विपरित होने के कारण विचाराधीन निर्णय खारिज होने योग्य है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरण में प्रस्तावित (मांग किये गये) रास्ते के अलावा क्या कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद है या नहीं तथा प्रस्तावित रास्ता क्या कटानी रास्ता से न्युनतम से न्युनतम हैं तहसीलदार बुहाना ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 को बनाई उसमें खसरा नम्बर 489/69 में पहुचने के लिये तीन जगह से रास्ता लगता है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की जवाब देही को नजर अन्दाज कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णित दावा उनवानी नौरंगराम बनाम गोकल मु.नं. 21/2010 नये मुकदमा नम्बर 495/2010 निर्णय दिनांक 23.04.2018 का अंकन जवाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में किया है। जिसमें लिखा है कि भूमि अविभाजित खसरा नम्बर 69, 70, 71 रास्ता खसरा नम्बर 75 से सटता हुआ है तथा खसरा नम्बर 95 को नक्शे में जहां से दर्शाया गया है उसके संबंध में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय श्रीमान जी द्वारा दुरूस्त करने हेतु मु.नं. 21/2010 नया मु.नं. 495/2010 में दिनांक 23.04.2018 को निर्णय पारित कर दिया। जिसमें मृतक सुलतान व नौरंग के वारिसान वादी थे। उक्त जमीन खसरा नम्बर 69, 70, 71 विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। जिसमें विभाजन के दौरान रास्ते का प्रावधान बनाया गया। खसरा नम्बर 505/71,508/70, 591/261 रास्ते के लिये रखी गई है। खसरा नम्बर 507/70 व खसरा नम्बर 489/69 दोनों ही रास्ते से सटते हुये है। खसरा नम्बर 489/69 के लिये खसरा नम्बर 508/70 रास्ता खसरा नम्बर 75 तक आता है तथा 507/70 एवं खसरा नम्बर 490/69 के लिये रास्ता खसरा नम्बर 505/71 एवं 506/71 के रूप में राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध है। वही से इस भूमि के खातेदारों का आना जाना था एवं वर्तमान है। उपरोक्त प्रकार से विचारण न्यायालय ने गलत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचाराधीन निर्णय पारित करने से पूर्व सुलतान पुत्र रामुराम का देहान्त हो चुका था जिनके वारिसान को कायम मुकाम बनाने के लिए कोई कार्यवाही नही की गई। इस कारण विचाराधीन निर्णय खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा कृषि जोत के लिए आवागमन हेतु रास्ते की मांग की है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से रेस्पोडेन्ट को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होना प्रकट होता है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता होने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय से दिया गया रास्ता लघुत्तम है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय धारा 251 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत पारित किया है। धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों में भू–अभिलेख निरीक्षक से निचे के स्तर के कार्मिक की रिपोर्ट विधि मान्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 के आधार पर पारित किया गया है। विधिक प्रावधानों की पालना में सक्षम स्तर से रिपोर्ट लेकर निर्णय पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में आईएलआर के स्तर से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी